

18/7/19

पत्रावली पेश दुर्य वकील प्रार्थी उप 0
विपार्थी एवं 395 के वकील उपस्थित
वकील प्रार्थी द्वारा राजस्व नोकेटन 212
RT Act. में Not Press किये जाने से
आवेदन आगामी कार्यवाही से खारिज किया
जाता है। सा 0 आ 0 ए 255/2018 में अन्तर्गत
आगामी निवेधाना आदेशित दिनांक 16/7/18
निरस्त किया जाकर पत्रावली फेसल शुभदा
होकर नम्बर से कम हो

(Signature)
सहायक कलक्टर
वौहटन

Not Press
(Signature)
18-7-19